1606/SE/Ri/95
7/6/16

1281176
D. 2013 Secy. R.D.
Date 06.09.2016

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

विषयः—टांसजेण्डर समुदाय(तृतीय लिंग वर्ग) के व्यक्तियों को पहचान पत्र जारी कर उन्हें कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत राजस्थान ट्रांसजेण्डर कल्याण बोर्ड की प्रथम बैठक माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 26.08.2016 को आयोजित बैठक में लिए गये निर्णयानुसार प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–3) विभाग की आज्ञा कमांक पं. 6(20) प्र.सु./ग्रुप–3/2016 दिनांक 01.04.2016(छाया प्रति सलंग्न) के अनुसार ट्रांसजेण्डर समुदाय(तृतीय लिंग वर्ग) के व्यक्तिओं की पहचान कर पहचान पत्र जारी करने तथा विभाग द्वारा कियान्वित की जा रही कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जिला स्तर पर समिति का गठन करने हेतु समस्त जिला कलेक्टर्स को पत्रांक 36459–92 दिनांक 08.06.2016(छाया प्रति संलग्न) द्वारा निर्देश जारी किये जा चुके है।

Recommendation of the Expert Committee के बिन्दु संख्या 11(छाया प्रति संलग्न) के अनुसार ट्रांसजेण्डर समुदाय (तृतीय वर्ग) हेतु सभी जिला परिषदों को इन्दिरा आवास योजना की स्थाई प्रतीक्षा सूची में इस समुदाय का कोई व्यक्ति लक्षित होता है तो बिना किसी भेदभाव के वरियता के आधार पर उसे आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जावेगी। इस बिन्दु का नोडल विभाग "ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग" है।

कृपया प्रशासनिक सुधार विभाग की आज्ञा एवं कमेटी के बिन्दु संख्या 11 के अनुसार तृतीय लिंग वर्ग के व्यक्तिओं को कल्याणकारी योजनाओं से जोडने की कार्यवाही सुनिश्चित करने का श्रम करे।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार।

(आनन्द कुमार)
आयुक्त एवं शासन सचिव

शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग,
सचिवालय जयपुर

कमांकः—एफ 44( ) परावि/प्रशि./महिला नीति/ 2016/313 जयपुर दिनांकः 1/09/16

					department.
11	M/o rural Development and M/o Housing and Urban Poverty Alleviation to ensure housing assistance schemes to help transgender persons.	Yes, May agree	It should be included with present schemes of various Departments of the State and Finance/Administrative Reform Department should issue order accordingly	(i) Gramin Vikas & panchayati raj and (ii) Urban Housing & development & Local Self Government.	आवास मानव की एक मौलिक आवश्यकता है। यह मानव जीवन और एक सम्मानजनक जीवन यापन की एक बुनियादी जरूरत है। यह न केवन सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि अपने स्थान के आधार पर उसे विभिन्न सुविधायें भी मुहैया करवाता है। आवास से व्यक्ति को मानसिक संतुष्टि और पहचान मिलती है जो उसके आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बढाती है। आवास उसके सामाजिक और आर्थिक विकास के लिये आवश्यक है। यह आजीविका में भी मदद करता है। मकान एक उपभोक्ता वस्तु और पूंजीगत वस्तु दोनों है। ट्रांसजेंडर समुदाय की स्थिति में सुधार लाने हेतु भारत सरकार द्वारा इन्दिरा आवास योजना की मार्गदर्शिका में जिस प्रकार अल्पसंख्यक एवं विकलांग परिवारों हेतु आरक्षण का प्राधान किया गया है, उसी प्रकार ट्रांसजेंडर समुदाय हेतु भी आरक्षण का प्राधान किया जाये। आरक्षण प्राप्त होने से इस समुदाय को आवासीय सुविधा प्राप्त हो सकेगी तथा समाज में सम्मानजनक रूप से निवास कर अपना जीवन यापन कर सकेंगे। ट्रांसजेंडर समुदाय हेतु सभी जिला परिषदों को यह निर्देश प्रदान किया जावे कि इन्दिरा आवास योजा की स्थाई प्रतीक्षा सूची में इस समुदाय को कोई व्यक्ति लक्षित होता है तो बिना किसी भेदभाव के वरीयता के आधार पर उसे आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जावे। नगरीय विकास विभाग के पत्र दिनांक 14.10.2014 द्वारा समस्त आयुक्त / सचिव/विकास प्राधिकरण/यू.आई.टी./आवासन मण्डल को निर्देश जारी कर आवेदन फार्मों में जेण्डर में स्त्री/पुरूष/अन्य लिखे जाने एवं अन्य में ट्रांसजेण्डर को भी स्त्री एवं पुरूष के समान एक वर्ग मानते हुये आवटन की कार्यवाही के निर्देश